two separate dedicated Boards for the two airlines as the first steps. Accordingly two separate Boards have been constituted with effect from 12.12.98. It has also been decided to induct four functional directors each in the respective Boards. This decision is expected to ensure that the functioning of these two airlines show visible improvements and no effect would be spared in this regard.

दिल्ली और राज्यों की राजधानियों को वायुयान सेवा से जोड़ा जाना

2191. **प्रो॰ रामबक्ष सिंह वर्मा:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों की उन राजधानियों के नाम क्या-क्या है, जिन्हें अब तक वायुयान सेवा द्वारा राष्ट्रीय राजधानी के साथ नहीं जोड़ा गया है;

(ख) क्या सरकार द्वारा राज्यों की इन राजधानियों को राष्ट्रीय राजधानी के साथ वायुयान सेवा द्वारा जोड़ने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्री (श्री अनंत कुमार): (क) निम्नलिखित राज्य की राजधानियां विमान सेवा से नहीं जुड़ी हुई हैं:—

राज्य	राजधानी
अरूणाचल प्रदेश	ईटानगर
मेघालय	शिलांग
नागालैंड	कोहिमा
सिक्किम	गंगटोक

(ख) से (घ) ईटानगर (अरूणाचल प्रदेश) के समीप लीलाबाड़ी (असम) विमानपत्तन है। लीलाबाड़ी विमानपत्तन पर स्तरोन्नयन कार्य जारी है। एक विमानपत्तन के रूप में विकसित किए जाने के लिए ईटानगर के समीप एक उपयुक्त स्थल का चयन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस समय, शिलांग (मेघालय) पर प्रचालन गुवाहाटी से किया जा रहा है शिलांग के निकट बारापानी (मेघालय) पर मौजूदा विमानपत्तन केवल छोटे विमानों का प्रचालनों के लिए उपयुक्त है। कोहिमा (नागालैंड) के लिए सेवाएं दीमापुर विमानपत्तन से प्रचालित की जा रही हैं चूंकि कोहिमा में कोई विमानपत्तन नहीं है। गंगटोक पर सेवाएं पश्चिम बंगाल में बागडोगरा से की जाती हैं। गंगटोक (सिक्किम) के निकट विमानपत्तन की साध्यता का पता लगाया जा रहा है।

मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अध्ययधीन उपयुक्त विमानपत्तन, यातायात मांग तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर प्रचालक किसी भी स्थान अथवा मार्ग के लिए प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। हवाई परिवहन सेवा के बेहतर विनियमन को प्राप्त करने की दृष्टि से और देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में हवाई परिवहन सेवा संबंधी आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही, मार्ग-संवितरण संबंधी मार्गदर्शी-सिद्धांत बनाए गए हैं। ये मार्गदर्शी सिद्धांत सभी अनुसूचित प्रचालकों से पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू व कश्मीर, लक्षद्वीप द्वीपसमूह तथा अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह (श्रेणी-2 मार्ग) में भी ट्रंक मार्गों (श्रेणी-1 मार्ग) पर लगाई गई अपनी क्षमता की कम से कम 10 प्रतिशत क्षमता लगाने की मांग करते हैं, श्रेणी-2 मार्गों पर 1 प्रतिशत क्षमता केवल श्रेणी-2 के स्टेशनों के भीतर ही लगाई जानी है, जबकि श्रेणी-1 मार्गों पर प्रदत्त क्षमता की 50 प्रतिशत क्षमता श्रेणी-1 तथा श्रेणी-2 मार्गों को छोड़कर शेष मार्गों (श्रेणी-3 मार्गों) पर लगाई जानी है।

Staff posted in foreign coutries by AI

2192. MISS MABEL REBELLO: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) the annual collection by sale of tickets and cargo earnings of AI during the last three financial years;

(b) the number of staff posted at foreign destination and their salary at each destination; and

(c) what is the criteria for foreign posting?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI ANANTH KUMAR): (a) The details are as under:—

	1995-96	1996-97	1997-98
Passenger	2460.99	2542.02	2767.20
Cargo	407.51	361.81	351.48